

किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणन योजना

प्रस्तावना

प्रतिभागियों,

यह पहचानते हुए कि संघर्ष हीरों का व्यापार गंभीर अंतरराष्ट्रीय चिंता की बात है जिसे सीधे सशस्त्र संघर्ष, वैध सरकारों को अपदस्थ करने के उद्देश्य से बागी आंदोलनों और हथियारों, विशेष रूप से छोटे और हल्के हथियारों, की अवैध तस्करी और प्रसार से जोड़ा जा सकता है;

आगे यह पहचानते हुए कि प्रभावित देशों में संघर्ष हीरों के व्यापार की वजह से शांति, सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा एवं व्यवस्थित और सकल मानव अधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा मिला;

राज्यों पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के बारे में क्षेत्रीय स्थिरता और दायित्वों पर ऐसे संघर्षों के नकारात्मक प्रभाव पर ध्यान देते हुए;

ध्यान में यह रखते हुए कि संघर्ष हीरों की समस्या को वैध हीरे के व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डालने से रोकने के लिए तत्काल अंतरराष्ट्रीय कार्यवाई जरूरी है जो कि कई उत्पादक, प्रसंस्कारक, निर्यातक एवं आयातक राज्यों, विशेष रूप से विकासशील राज्यों की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी;

प्रासंगिक संकल्प 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000) एवं 1343 (2001) सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रासंगिक संकल्पों को याद करते हुए और इन प्रस्तावों में प्रदत्त उपायों के कार्यान्वयन में योगदान और समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध;

संघर्ष हीरे में व्यापार की सशस्त्र संघर्ष में भूमिका पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 55/56 (2000) पर प्रकाश डालते हुए, जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तत्काल और सावधानी से इस समस्या के लिए प्रभावी और व्यावहारिक उपायों को तैयार करने के लिए बुलाया;

संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 55/56 में सिफारिश, कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपरिष्कृत हीरों के लिए मूल रूप से राष्ट्रीय प्रमाणीकरण योजना और अंतरराष्ट्रीय न्यूनतम मानकों पर आधारित एक सरल और व्यवहारिक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण योजना का विकास करे, आगे इस पर प्रकाश डालते हुए;

आगे यह याद करते हुए कि किम्बर्ली प्रक्रिया, जिसे संघर्ष हीरे की अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान खोजने के लिए स्थापित किया गया था, वह संबंधित हितधारकों यानि उत्पादक, निर्यातक एवं आयातक राज्यों, हीरा उद्योग और नागरिक समाज की समावेशी थी;

विश्वास है कि सशस्त्र संघर्ष भड़काने में संघर्ष हीरे की भूमिका के लिए अवसर अपरिष्कृत हीरों के लिए वैध व्यापार से संघर्ष हीरे बाहर करने के लिए तैयार की गई एक प्रमाणन योजना को शुरू करने से गंभीर रूप से कम किया जा सकता है;

यह याद रखते हुए कि किम्बर्ली प्रक्रिया ने यह माना है कि अपरिष्कृत हीरों के लिए राष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं पर आधारित एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मानकों पर सहमत एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण योजना संघर्ष हीरे की समस्या को संबोधित करने की सबसे प्रभावी प्रणाली होगी;

इस समस्या का समाधान करने के लिए अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गिनी और सियरा लियोन की सरकारों और अन्य प्रमुख उत्पादक, निर्यातक एवं आयातक देशों की तरह ही हीरा उद्योग, विशेष रूप से विश्व हीरा परिषद, और नागरिक समाज द्वारा पहले से ही उठाए गए महत्वपूर्ण पहल को स्वीकार करते हुए;

हीरा उद्योग द्वारा की गई स्वैच्छिक आत्म नियमन की पहल की घोषणा का स्वागत करते हुए एवं यह पहचानते हुए कि अपरिष्कृत हीरों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण योजना पर आधारित इस तरह की एक स्वैच्छिक आत्म नियमन प्रणाली अपरिष्कृत हीरों के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने में योगदान करती है;

यह पहचानते हुए कि अपरिष्कृत हीरों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण योजना तभी विश्वसनीय होगी जबकि सभी प्रतिभागियों ने अपरिष्कृत हीरे के उत्पादन, निर्यात और आयात की श्रृंखला में स्वयं के क्षेत्रों के भीतर संघर्ष हीरे की उपस्थिति को खत्म करने के लिए तैयार की गई नियंत्रण की आंतरिक प्रणाली की स्थापना कर ली हो, वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादन, व्यापार

व्यवहार और इसी तरह संस्थागत नियंत्रण के तरीकों में फ़र्क होने के कारण न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है;

आगे यह पहचानते हुए कि अपरिष्कृत हीरों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण योजना को अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए;

यह स्वीकार करते हुए कि राज्य की संप्रभुता का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए और समानता के सिद्धांतों, आपसी लाभ और आम सहमति का पालन होना चाहिए;

निम्न प्रावधानों की सिफ़ारिश करें:

अनुभाग 1

परिभाषाएं

कच्चे हीरों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण योजना (तदुपश्चात “प्रमाणीकरण योजना” के नाम से उल्लेखित किया जाएगा) के उद्देश्य से निम्न परिभाषाएं लागू होंगी:

संदेहास्पद हीरे - अर्थात् ऐसे कच्चे हीरे जिनका इस्तेमाल विद्रोही गुटों एवं उनके सहयोगियों द्वारा वैध सरकारों को कमजोर बनाने के लिए किया जाता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) से संबंधित प्रस्तावों में वर्णन किया है, जहां तक कि वे लागू हैं या अन्य यूएनएससी प्रस्तावों में जिन्हें भविष्य में अपनाया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 55/56 में जैसे समझा और स्वीकार किया है या अन्य समान यूएनजीए प्रस्तावों में जिन्हें भविष्य में अपनाया जाएगा;

मूल देश - अर्थात् ऐसा देश जहां कच्चे हीरों की लदान (शिपमेंट) का खणन हुआ या निकाले गए हैं;

स्त्रोत देश - अर्थात् सबसे आखिरी सहभागी देश जहां से कच्चे हीरों की लदान का निर्यात हुआ था, जैसा कि आयात दस्तावेजों पर दर्ज होगा;

हीरा - अर्थात् प्राकृतिक खनिज जिसमें तत्त्वतः शुद्ध सघन कार्बन का आइसोमेट्रीक प्रणाली में समावेश रहता है, जिसकी कठोरता मोहस (स्कैच) स्केल पर 10 होती है, विशिष्ट गुरुत्व लगभग 3.52 और अपवर्तक सूचकांक 2.42 होता है;

निर्यात - अर्थात् सहभागी देश के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में भौतिक रूप से भेजना/ले जाना;

निर्यात प्राधिकरण - अर्थात् वे प्राधिकरण अथवा इकाई(यां) जिन्हें उस सहभागी देश द्वारा नामित किया जाता है जिसके क्षेत्र से कच्चे हीरों की लदान भेजी जा रही है और उस देश ने जिन्हें किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणपत्र को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया है;

मुक्त व्यापार क्षेत्र - अर्थात् सहभागी देश के क्षेत्र का ऐसा भाग जहां आयात किए हुए किसी भी वस्तुओं को जहां तक की शुल्क और करों का संबंध है, सीमा शुल्क विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर समझा जाता है;

आयात - अर्थात् सहभागी देश के क्षेत्र के किसी भी भाग में भौतिक रूप से प्रवेश कराना/लाना;

आयात प्राधिकरण - अर्थात् वे प्राधिकरण अथवा इकाई(यां) जिन्हें उस सहभागी देश द्वारा नामित किया जाता है, जिसके क्षेत्र में कच्चे हीरों की लदान आयात की जा रही है ताकि सभी आयात औपचारिकताओं को पूरा किया जा सके और विशेष तौर पर संलग्न किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणपत्र का सत्यापन किया जा सके;

किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणपत्र - अर्थात् विशिष्ट प्रारूप का एक जालसाजी प्रतिरोधी दस्तावेज़ जो एक कच्चे हीरों की लदान की प्रमाणीकरण योजना की आवश्यकता के अनुपालन के तहत पहचान करता है;

परीक्षक - अर्थात् नागरिक समाज, हीरा उद्योग, अंतरराष्ट्रीय संगठन और गैर-सम्मिलित सरकारों के प्रतिनिधि, जिन्हें सत्र बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया (आगे का विचार-विमर्श अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा).

पार्सल - अर्थात् एक या अधिक हीरे जिन्हें एक साथ पैक किया गया है और जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता;

मिश्रित मूल के पार्सल - अर्थात् ऐसा पार्सल जिसमें एक या अधिक मूल के देशों के पार्सल एक साथ होते हैं;

सहभागी - अर्थात् एक देश या एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन जिसके लिए प्रमाणीकरण योजना प्रभावी होती है (आगे का विचार-विमर्श अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा).

क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन - अर्थात् ऐसा संगठन जो उन सार्वभौम राष्ट्रों के समावेश से बनता है जिन्होंने प्रमाणीकरण योजना द्वारा नियंत्रित मामलों के संदर्भ में उसे क्षमता हस्तांतरित की होती है;

कच्चे हीरे - अर्थात् ऐसे हीरे जिन पर काम नहीं हुआ है या सिर्फ काटे गए, फोड़े या तोड़े गए हैं और जो संबंधित समरूप वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली 7102.10, 7102.21 और 7102.31 के तहत आते हैं;

लदान - अर्थात् एक या अधिक पार्सल जिन्हें भौतिक रूप से आयात या निर्यात किया गया है;

पारगमन (ट्रांज़िट) - अर्थात् सहभागी या गैर-सहभागी देशों के क्षेत्र में से भौतिक मार्ग का इस्तेमाल जो ट्रांसशिपमेंट के साथ या अलावा, वेअरहाउसिंग या परिवहन में बदलाव हेतु किया गया हो, जब ऐसा मार्ग उस पूरी यात्रा का बस एक हिस्सा हो जो सहभागी या गैर-सहभागी देश की सीमाओं से परे आरंभ और समाप्त होती है;

अनुभाग 2

किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणपत्र

प्रत्येक सहभागी देश को यह सुनिश्चित करना है कि:

- (a) किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणपत्र (तदपश्चात प्रमाणपत्र के तौर पर संदर्भित होगा) निर्यात प्रक्रिया में कच्चे हीरों की हर लदान के साथ संलग्न होगा;
- (b) उनकी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रियाएं अनुभाग 4 में निर्धारित किम्बर्ली प्रक्रिया के मानकों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करती हो;
- (c) प्रमाणपत्र अनुबंध 1 में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हो। इन आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद, सहभागी देश अपने निर्णयानुसार अपने प्रमाणपत्रों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं का निर्धारण कर सकते हैं, जैसे उनके प्रपत्र, अतिरिक्त जानकारी की माँग या सुरक्षा सावधानियाँ आदि;
- (d) सत्यापन हेतु, उनके प्रमाणपत्र तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में अन्य सहभागी देशों को अध्यक्ष के माध्यम से सूचित करना है।

अनुभाग 3

कच्चे हीरों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में अभिवचन

हर सहभागी देश को:

(a) सहभागी देश को निर्यात होने वाले हर लदान के संदर्भ में यह बात ज़रूरी है कि ऐसे हर लदान के साथ विधिवत सत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न हो;

(b) सहभागी देश से आयात होने वाले लदानों के संबंध में:

- विधिवत सत्यापित प्रमाणपत्र ज़रूरी है;
- प्राप्ति की पुष्टि तुरंत संबंधित निर्यात प्राधिकरण को भेजी गई है यह सुनिश्चित करना है। पुष्टि में कम से कम प्रमाणपत्र की संख्या, पार्सलों की संख्या, कैरट का वजन और आयात एवं निर्यातक का विवरण आदि बातें शामिल होनी ज़रूरी हैं।;
- यह ज़रूरी है कि प्रमाणपत्र की मूल प्रति कम से कम तीन सालों के लिए उपलब्ध हो;

(c) किसी भी गैर-सहभागी देश से कच्चे हीरों की लदानों की आयात या उसे निर्यात ना हो यह सुनिश्चित करे;

(d) यह जान लें कि ऐसे सहभागी देश जिनके क्षेत्र से लदान ट्रांज़िट हो रहे हैं उन्हें उपरोक्त (a) और (b) एवं अनुभाग 2 के (a) अनुच्छेदों को पूरा करने की ज़रूरत नहीं, सिवाय इसके कि उस सहभागी देश जिसके क्षेत्र से लदान गुज़र रही है, उसके अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लदान उनके क्षेत्र से उसी स्थिति में बाहर निकले जैसी वह आयी थी (अर्थात बिना खोलें और बिना कोई छेड़-छाड़ किए)।

अनुभाग 4

आंतरिक नियंत्रण

सहभागी देशों द्वारा अभिवचन

हर सहभागी देश:

- (a) अपने क्षेत्र में आयात होने वाले तथा निर्यात किए जाने वाले कच्चे हीरों की लदानों में से संदेहास्पद हीरों की मौजूदगी को खत्म करने के लिए अंदरूनी नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करे;
- (b) आयात एवं निर्यात प्राधिकरण को नामित करें;
- (c) यह सुनिश्चित करें कि कच्चे हीरे छेड़-छाड़ प्रतिरोधी कंटेनरों में आयात एवं निर्यात किए जाएं;
- (d) जैसा कि ज़रूरी है, प्रमाणपत्र योजना के क्रियान्वयन और लागू करने के लिए उचित कानूनों को बदलें या अधिनियमित करें और अपराधियों को समझाने वाले और आनुपातिक दंड का प्रावधान करें;
- (e) सुसंगत आधिकारिक उत्पादन, आयात एवं निर्यात डेटा को जमा करें और बनाए रखें और अनुभाग 4 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे डेटा की तुलना और आदान-प्रदान करें।
- (f) जब अंदरूनी नियंत्रणों की प्रणाली स्थापित करनी हो, जहां भी उचित हो अनुलग्न 2 में स्पष्ट अंदरूनी नियंत्रण के लिए आगे के विकल्पों एवं सिफ़ारिशों को ध्यान में रखें।

उद्यम के स्व-नियमन सिद्धांत

इस दस्तावेज़ की प्रस्तावना में जैसे बताया गया है, सहभागी यह समझते हैं कि उद्यम के स्व-नियमन की एक स्वैच्छिक प्रणाली को विभिन्न कंपनियों के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किए सत्यापन पर आधारित वारंटी प्रदान करेगी और उद्यम द्वारा स्थापित अंदरूनी दंड प्रणाली उसे आधार प्रदान करेगी, जिससे सरकारी अधिकारियों द्वारा कच्चे हीरों की संपूर्ण खोज क्षमता को मदद मिलेगी।

अनुभाग 5
सहयोग एवं पारदर्शिता

सहभागी देशों को:

- (a) इस प्रमाणीकरण योजना के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सहभागियों को अपने नामित प्राधिकरणों एवं इकाईयों के बारे में अध्यक्ष के द्वारा एक दूसरे को जानकारी प्रदान करनी है। हर सहभागी देश दूसरे को प्रायः इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अपने संबंधित कानूनों, नियमनों, नियमों, प्रक्रियाओं तथा प्रथाओं के बारे में अध्यक्ष के द्वारा जानकारी मुहैया कराएँ और आवश्यकता के अनुसार उस जानकारी को अपडेट करें। इसमें इस जानकारी की आवश्यक सामग्री का सारांश भी होना चाहिए;
- (b) अनुबंध 3 में जो सिद्धांत निर्धारित किए हैं उनसे सुसंगत सांख्यिकीय डेटा को जमा करके अन्य सभी सहभागी देशों को अध्यक्ष के द्वारा उपलब्ध कराएं;
- (c) नियमित तौर पर अनुभवों एवं अन्य संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान करें, जिसमें स्व-मूल्यांकन शामिल है, ताकि प्राप्त परिस्थितियों में सबसे अच्छी प्रथा का अनुसरण किया जा सके;
- (d) अन्य सहभागियों के अनुकूल अनुरोध पर विचार करें ताकि उनके क्षेत्र में प्रमाणीकरण योजना के संचालन को सुधारा जा सके;
- (e) अगर उस अन्य सहभागी के कानूनों, नियमनों, नियमों, प्रक्रियाओं या प्रथाओं के द्वारा उस सहभागी के निर्यात में संदेहास्पद हीरो की गैर-मौजूदगी को सुनिश्चित न किया गया हो तो अन्य सहभागी को अध्यक्ष के द्वारा सूचित करें;
- (f) अप्रत्याशित परिस्थितियों में उभरने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्य सहभागियों के साथ सहयोग करे, जिन समस्याओं का परिणाम प्रमाणपत्रों के जारी करने या स्वीकारने की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा ना करने में हो सकता है और उभरी हुई समस्या और उसके समाधान के बारे में सारांश में अन्य सभी सहभागियों को सूचित करें;

- (g) उनसे संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सहभागी देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सीमा शुल्क एजेंसियों के बीच करीबी सहयोग को बढ़ावा दें।

अनुभाग 6

प्रशासनिक मामलें

बैठकें

1. सहभागी और निरीक्षकों को वार्षिक सत्र में और अन्य अवसरों पर मिलना है जैसा कि सहभागी देश ज़रूरी समझें, ताकि प्रमाणीकरण योजना के प्रभावकारिता के बारे में चर्चा की जा सके।
2. पहले सत्र की बैठक में ऐसी बैठकों के लिए सहभागी देशों ने प्रक्रिया के नियमों को अपनाना चाहिए।
3. बैठकों को ऐसे देश में आयोजित करना है जहां अध्यक्ष स्थित है, सिवाय इसके कि कोई सहभागी या कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन बैठक की मेजबानी करने की पेशकश ना करें और उसकी पेशकश स्वीकृत ना की गई हो। मेजबान देश को ऐसी बैठकों में उपस्थित रहने वालों के लिए प्रवेश प्रक्रियाओं को सुविधाजनक कराना है।
4. हर सत्र बैठक के अंत में, सभी सत्र बैठकों की, तदर्थ कार्य गुटों और अन्य सहायक निकायों की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष को चुना जाएगा, जो अगली वार्षिक सत्र बैठक का समापन होने तक अध्यक्ष रहेगा।
5. सहभागी देशों को आम सहमति से फैसलों तक पहुँचना है। ऐसे मामले में जहां आम सहमति होना नामुमकिन हो अध्यक्ष को विचार-विमर्श करना है।

प्रशासनिक सहायता

6. प्रमाणीकरण योजना के प्रभावी प्रशासन के लिए प्रशासनिक सहायता ज़रूरी होगी। उस सहायता के तौर-तरीकों तथा कार्य के स्वरूप पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी समर्थन के अनुसार पहली सत्र बैठक में चर्चा होनी

चाहिए।

7. प्रशासनिक सहायता में निम्न बातें शामिल हो सकती हैं:

(a) इस दस्तावेज़ में प्रदान किए हुए मामलों के संबंध में सहभागी देशों के बीच संपर्क, जानकारी बांटने और परामर्श के लिए माध्यम के तौर पर कार्य करना;

(b) धारा 5 के अनुसार निर्धारित कानूनों, नियमनों, नियमों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और आंकड़ों के संकलन को बनाए रखना और सभी सहभागियों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराना;

(c) दस्तावेज़ बनाना तथा सत्र और कार्य गुटों की बैठकों के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करना;

(d) सत्र बैठकों जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारी का वहन करना या सत्र बैठक द्वारा सूचित किसी कार्य गुट जिम्मेदारी जैसी जिम्मेदारी को निभाना।

सहभाग

8. प्रमाणीकरण योजना में सहभाग विश्वस्तर पर गैर भेदभावपूर्ण आधार पर सभी आवेदकों के लिए खुला है जो इस योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इच्छुक एवं सक्षम हैं।
9. किसी भी आवेदक को जो इस प्रमाणीकरण योजना में भाग लेने का इच्छुक हो उसे अपनी रुचि को राजनयिक माध्यमों द्वारा अध्यक्ष को सूचित करना है। इस सूचना में अनुभाग 5 के (a) परिशिष्ट में निर्धारित जानकारी का समावेश होना चाहिए और सभी सहभागियों को एक महीने के भीतर वितरित करना चाहिए।
10. सहभागी नागरिक समाज, हीरा उद्यम, गैर-सहभागी सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को सत्र बैठकों में निरीक्षकों के तौर पर आमंत्रित कर सकते हैं।

सहभागियों के उपाय

11. अपने न्यायक्षेत्र के तहत अनुभाग 5 के (a) अनुच्छेद में निर्धारित जानकारी के अनुसार प्रमाणीकरण योजना की आवश्यकताओं का कार्यान्वयन कैसे किया है इसका सारांश किम्बर्ली प्रक्रिया की वार्षिक सत्र बैठक के पहले सहभागियों को तैयार करना है और अन्य सहभागियों को उपलब्ध कराना है।
12. वार्षिक सत्र बैठकों के एजेंडा में एक आइटम डालना है कि अनुभाग 5 के (a) अनुच्छेद में निर्धारित जानकारी की समीक्षा की गई है और सत्र के अनुरोध पर सहभागी अपनी संबंधित प्रणालियों के बारे में आगे की जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
13. जहां आगे का स्पष्टिकरण ज़रूरी होगा, सत्र बैठकों के सहभागी देश अध्यक्ष की सिफ़ारिश पर कार्यान्वयन होने वाले अतिरिक्त सत्यापन उपायों की पहचान और निर्धारण कर सकते हैं। लागू राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार ऐसे उपायों का कार्यान्वयन होना चाहिए। इनमें निम्न उपाय शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ इन तक ही सीमित नहीं हैं:

- a. सहभागियों से अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टिकरण मांगना;

- b. प्रमाणीकरण योजना के साथ गंभीर गैर-अनुपालन के विश्वसनीय संकेत मिलने पर अन्य सहभागी या उनके प्रतिनिधियों की समीक्षा करना।
14. संबंधित सहभागी की सहमति के साथ समीक्षा मिशन को विश्लेषणात्मक, विशेषज्ञ और निष्पक्ष तरीके से संचालन करना है। इन मिशनों का आकार, संदर्भ की संज्ञाएँ और समय अवधि परिस्थिति पर आधारित होनी चाहिए और संबंधित सहभागी की सहमति और अन्य सभी सहभागियों के परामर्श के साथ अध्यक्ष के द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।
15. अनुपालन सत्यापन उपायों के नतीजों पर एक रिपोर्ट को अध्यक्ष और संबंधित सहभागी को मिशन की समाप्ति के तीन हफ्तों के भीतर भेजी जानी चाहिए। संबंधित सहभागी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तीन हफ्तों के भीतर उस सहभागी की किसी टिप्पणियों तथा रिपोर्ट को प्रमाणीकरण योजना की अधिकृत वेबसाइट के प्रतिबंधित उपयोग विभाग में पोस्ट किया जाना चाहिए। किसी भी अनुपालन मामले के मुद्दों और चर्चाओं के संबंध में सहभागी और निरीक्षकों को सख्त गोपनीयता का पालन करने का पूरा प्रयास करना है।

अनुपालन एवं विवाद निवारण

16. सहभागी द्वारा अनुपालन से संबंधित कोई समस्या या प्रमाणीकरण योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कोई समस्या उभरती है तो कोई भी संबंधित सहभागी अध्यक्ष को सूचित कर सकता है, तत्पश्चात अध्यक्ष को सभी सहभागियों को तुरंत इसके बारे में सूचित करना है और उसका समाधान कैसे करें इसके बारे में चर्चा शुरू करनी है। किसी भी अनुपालन मामले के मुद्दों और चर्चाओं के संबंध में सहभागी और निरीक्षकों को सख्त गोपनीयता का पालन करने का पूरा प्रयास करना है।

संशोधन

17. इन दस्तावेज़ों को सहभागियों की आम सहमति के तहत संशोधित किया होगा।
18. संशोधनों को सहभागी के द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। यदि वे सहमत न हुए हों तो अगली सत्र बैठक के कम से कम नब्बे दिनों के पहले ऐसे प्रस्तावों को लिखित रूप में अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए।

19. अध्यक्ष को किसी भी प्रस्तावित संशोधन को तुरंत सभी सहभागियों एवं निरीक्षकों में वितरित करना है और अगली वार्षिक सत्र बैठक के अजेंडे में उसे रखना है।

समीक्षा तंत्र

20. सहभागी चाहते हैं कि प्रमाणीकरण योजना समय समय पर समीक्षा के अधीन हो ताकि इस योजना में सम्मिलित सभी तत्त्वों का विस्तृत विश्लेषण करने का अवसर सहभागियों को मिले। उस समय संदेहास्पद हीरों द्वारा लगातार उत्पन्न खतरे के बारे में सहभागियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों खासकर संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण के मद्देनजर ऐसी योजना की निरंतर आवश्यकताओं के बारे में विचार समीक्षा में शामिल होने चाहिए। प्रमाणीकरण योजना को लागू करने की तारीख के तीन सालों के भीतर पहली समीक्षा की जानी चाहिए। यदि अन्यथा सहमत न हुए हों तो समीक्षा बैठक आम तौर पर वार्षिक सत्र बैठक के साथ ही होनी चाहिए।

योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत

21. कच्चे हीरों के लिए किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणीकरण योजना को 5 नवंबर 2002 को इंटरलेकन में होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में स्थापित किया जाना चाहिए।

अनुबंध 1

प्रमाणपत्र

A. प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम ज़रूरतें

प्रमाणपत्र को निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना है:

- हर प्रमाणपत्र पर “किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणपत्र” शीर्षक और निम्न विधान:
“कच्चे हीरों के लिए किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाणीकरण योजना के प्रावधानों के तहत इस लदान के कच्चे हीरों को संभाला गया है”
- गैर-मिश्रित मूल (अर्थात एक ही) के लदानों के पार्सलों के लिए मूल देश का नाम
- प्रमाणपत्र किसी भी भाषा में जारी किए जा सकते हैं बशर्ते कि उसके साथ उनका अंग्रेजी अनुवाद सम्मिलित हो
- आइएसओ 3166-1 के अनुसार अल्फा 2 कंट्री कोड के साथ विशिष्ट नंबरिंग की होनी चाहिए
- छेड़-छाड़ और जालसाजी प्रतिरोधी
- जारी करने की तारीख
- समाप्ति की तारीख
- जारी करने वाला प्राधिकरण
- निर्यातक एवं आयातक की पहचान
- कैरट वजन/प्रमाण
- यूएस डॉलर में मूल्य
- लदान में पार्सलों की संख्या
- संबंधित समरूप वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली
- निर्यात प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र का सत्यापन

B. वैकल्पिक प्रमाणपत्र तत्त्व

एक प्रमाणपत्र में निम्न वैकल्पिक विशेषताएं शामिल हो सकती हैं:

- प्रमाणपत्र की विशेषताएं (उदाहरण के तौर पर प्रपत्र, अतिरिक्त डेटा या सुरक्षा तत्त्व)
- लदान में कच्चे हीरों की गुणवत्ता विशेषताएं
- सिफ़ारिश किये हुए आयात पुष्टि भाग में निम्न तत्त्व होने चाहिए:

गंतव्य देश

आयातक की पहचान

कैरट/वजन और यूएस डॉलर में मूल्य

संबंधित समरूप वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली

आयात प्राधिकरण द्वारा प्राप्ति की तारीख

आयात प्राधिकरण द्वारा सत्यापन

C. वैकल्पिक प्रक्रियाएं

कच्चे हीरों को पारदर्शी सुरक्षा बैगों में भेजा जा सकता है।

एक विशिष्ट प्रमाणीकरण क्रमांक को कंटेनर पर दोहराया जा सकता है।

अनुबंध 2

अनुभाग 4, अनुच्छेद (f) में प्रदान की गई सिफारिशें

सामान्य सिफारिशः

1. सहभागी, प्रमाणन योजना के कार्यान्वयन के साथ व्यवहार करने के लिए एक अधिकारी समन्वयक या समन्वयकों को नियुक्त कर सकते हैं
2. सहभागी पूरक की उपयोगिता और किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाण पत्र के प्रकरण के आधार पर अनुबंध। में पहचाने गए आँकड़ों के संग्रह और प्रकाशन बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।
3. सहभागियों को एक कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस पर अनुभाग 5द्वारा आवश्यक जानकारी और डेटा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
4. प्रमाणन योजना का समर्थन करने के लिए सहभागियों को संचारित और इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. जो सहभागी हीरों का उत्पादन करते हैं और जिनके पास अपने क्षेत्र के भीतर हीरों का खनन करने वाले संदिग्ध विद्रोही गुट हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो उन क्षेत्रों का पता लगाएं जहां हीरा खनन की गतिविधि हो रही है और अन्य सभी सह सहभागियों को सूचित करें। इस सूचना का नियमित आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए।
6. चेयर के माध्यम से सभी सहभागियों को प्रमाणन योजना के प्रयोजनों के उद्देश्य से प्रासंगिक गतिविधियों का दोषी पाई गई कंपनियों या व्यक्तियों के नाम की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
7. सहभागियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि असभ्य हीरों की नकद खरीदी आधिकारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से और सत्यापित प्रलेखन द्वारा समर्थित कराई गई है।
8. जो सहभागी हीरों का उत्पादन कर रहे हैं उन्हें उनके हीरों के उत्पादन

का विश्लेषण नीचे दिए गए शीर्षकों के अंतर्गत करना चाहिए:

- उत्पादित हीरों के लक्षण
- वास्तविक उत्पादन

हीरों की खानों पर नियंत्रण के लिए सिफारिशें:

9. सहभागियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि सभी हीरे की खानों को लाइसेंस प्राप्त है और केवल उन्हीं खानों को अनुमति दें जिनके पास हीरों के खनन का लाइसेंस हो।
10. सहभागियों को ये सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि विवादास्पद हीरे वैध उत्पादन को प्रभावित न करें, पूर्वक्षण और खनन कंपनियां प्रभावी सुरक्षा मानकों को बनाए रखें।

छोटे पैमाने के हीरा खनन वाले सहभागियों के लिए सिफारिशें

11. सभी अर्टिसनल और अनौपचारिक हीरा खनिकों के पास लाइसेंस होना चाहिए और केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दें जिनके पास हीरों के खनन का लाइसेंस हो।
12. लाइसेंसिंग के रिकॉर्ड में निम्न न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए: नाम, पता, राष्ट्रीयता और निवास स्थान और अधिकृत हीरा खनन गतिविधि का क्षेत्र।

अपरिष्कृत हीरों के खरीदार, विक्रेता और निर्यातकों के लिए सिफारिशें:

13. सभी हीरा खरीदने वाली, बेचने वाली, निर्यातक, दलाल और संदेशवाहक कंपनियां जो कि हीरों के लाने या ले जाने में शामिल हैं वो पंजीकृत हों और प्रत्येक भागीदार से संबंधित अधिकारियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो।
14. लाइसेंसिंग के रिकॉर्ड में निम्न न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए: नाम, पता, राष्ट्रीयता और निवास स्थान।
15. हीरा खरीदने वाले, बेचने वाले और निर्यातक को कानून द्वारा आवश्यक है कि पांच साल की अवधि के लिए हर दिन होने वाली खरीदी, बिक्री या निर्यात को अभिलिखित करना होगा जिसमें खरीदने या बेचने वाले ग्राहक का नाम, उनके लाइसेंस का नंबर, खरीदने/बेचने/निर्यात किये गए हीरों की संख्या और उनके दाम का हवाला देना होगा।
16. अपरिष्कृत हीरों को खरीदने और बेचने वालों की गतिविधियों से संबंधित विस्तृत जानकारी की प्रस्तुति को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुच्छेद १४ में दी गई जानकारी एक कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस में दर्ज की जानी चाहिए।

निर्यात प्रक्रियाओं के लिए सिफारिशें:

17. एक निर्यातक को अपने उचित निर्यातक अधिकारी को अभ्यस्त हीरे का लदान जमा करना चाहिए।

18. निर्यात अधिकारी को प्रोत्साहित करता है कि प्रमाण पत्र को मान्य करने से पहले किसी भी निर्यातक से ये घोषणापत्र लेना चाहिए कि जिन हीरों का निर्यात किया जा रहा है वो विवादस्पद नहीं हैं।
19. हीरों को प्रमाणपत्र या एक विधिवत प्रमाणीकृत प्रति के साथ पात्र में सील करना चाहिए। निर्यात अधिकारी को तब एक विस्तृत ई-मेल संदेश आयात अधिकारी जिसके पास कैरेट वजन, मूल्य, मूल या उद्गम का देश, आयातकर्ता और प्रमाण पत्र की क्रमांक संख्या जैसी जानकारी हो, को प्रेषित करना चाहिए।
20. निर्यातक अधिकारी को हीरे के लदान से सम्बंधित जानकारी कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस में अभिलिखित करनी चाहिए।

आयात प्रक्रियाओं के लिए सिफारिशें:

21. आयात अधिकारी को हीरे के शिपमेंट से पूर्व या शिपमेंट मिलने के समय ई-मेल मिलना चाहिए, संदेश में ये सभी विवरण होने चाहिए: कैरेट वजन, मूल्य , मूल या उद्गम के देश, निर्यातक और प्रमाणपत्र की क्रम संख्या।
22. आयात अधिकारी को हीरे के शिपमेंट की जांच करनी चाहिए कि सील और कंटेनर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और जो निर्यात हुआ है वो प्रमाणन योजना के अनुसार हुआ है।
23. आयात अधिकारी को प्रमाणपत्र पर घोषित विवरण को सत्यापित करने के लिए लदान खोल कर उसकी सामग्री का निरीक्षण करना चाहिए।
24. जहाँ लागू हो और जब अनुरोध किया जाए तब आयात अधिकारी द्वारा निर्यात अधिकारी को वापसी पर्ची या आयात पुष्टि कूपन देना चाहिए।
25. आयात अधिकारी को हीरे के लदान से जुड़ी पूरी जानकारी कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस में दर्ज करनी चाहिए।

मुक्त व्यापार क्षेत्र को या से शिपमेंट करने के लिए सिफारिशें:

26. मुक्त व्यापार क्षेत्र को या से शिपमेंट की नामित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए।

अनुबंध III

सांख्यिकी

यह स्वीकृति देना, कि उत्पादन पर विश्वसनीय और तुलनीय विवरण और हीरों का अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार प्रमाणन योजना को अमल में लेने के लिए आवश्यक उपकरण हैं और खास तौर पर अनियमितता या विसंगतियों की पहचान करना कि वैध व्यापार में विवादास्पद हीरे का प्रवेश न हो, व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी को बचाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सहभागी दृढ़ता से निम्नलिखित सिद्धांतों का समर्थन करें:

- (a) संदर्भ अवधि के दो महीने के भीतर मानकीकृत स्वरूप में हीरे के निर्यात और आयात पर त्रैमासिक समस्त आँकड़े, साथ में निर्यात के लिए मान्य किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की संख्या और प्रमाण पत्र के साथ आयातित लदान की संख्या रखने के लिए और प्रकाशित करने के लिए;
- (b) संभव मूल और उद्गम जहाँ से भी संभव हो, कैरेट वजन और मूल्य से, और प्रासंगिक अनुरूप वास्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली के अन्तर्गत (HS) वर्गीकरण 7102.10; 7102.21; 7102.31; आँकड़े रखने के लिए और प्रकाशित करने के लिए;
- (c) अर्ध वार्षिक आधार पर और संदर्भ अवधि के दो महीने के भीतर करात वजन के और मूल्य के आधार पर हीरों के उत्पादन के आँकड़े रखने के लिए और प्रकाशित करने के लिए, अगर सहभागी ये आंकड़े प्रकाशित करने में असमर्थ रहता है तो इसे तुरंत वरिष्ठों को सूचित करना चाहिए;
- (d) मौजूदा राष्ट्रीय प्रक्रिया और तरीकों पर पहले उदाहरण पर भरोसा करते हुए आंकड़ों को जमा करना और प्रकाशित करना;
- (e) ये आंकड़े अंतर-सरकारी निकाय या अन्य उपयुक्त तंत्रों को दी जानी चाहिए, जो कि सहभागियों द्वारा इसलिए पहचाने जाते हैं (1) निर्यात और आयात के संबंध में तिमाही आधार पर संकलन और प्रकाशन के लिए, (2) उत्पादन के संबंध में एक अर्ध वार्षिक आधार पर, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ये आंकड़े इच्छुक पार्टियों को और सहभागियों को उपलब्ध किए जाने चाहिए, संदर्भ की शर्तों के अनुसार सहभागियों द्वारा स्थापित किया जा सकता

है;

(f) अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सांख्यिकीय सूचना पर विचार करने के लिए, वार्षिक पूर्ण बैठकों में हीरों का उत्पादन, संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के दृश्य के साथ, और प्रमाणन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन।